

21-01-23

अभिलेख उपस्थापित ।

अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन अ प्राप्त
 उक्त पक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित
 रहने से प्रतिन लेना है कि स्थल में विधि-
 0 भवत्या एवं अंति-0 भवत्या भंग होने की
 संभावना नगण्य प्रतीत होता है।

अतः वाद की कार्यवाही को समाप्त कर
 अभिलेख को बन्द किया जाता है।

लिखापित ।

अनु. 605/23
 गिरिडीह ।

अनु. 605/23
 गिरिडीह ।